

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :-02/मुक०-01-09/13..... / रॉची, दिनांक : /

तार्किक आदेश

विषय:-W.P.(S).-3143/13 आनन्द कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.10.13 को पारित न्याय निर्णय के संबंध में।

श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय लघु सिंचाई, रॉची द्वारा अपने वरीयता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में W.P.(S).-3143/13 दायर किया गया था। उक्त वाद में दिनांक 30.10.13 को निम्न न्याय पारित हुआ है -

" This writ petition is accordingly disposed of with a direction to the petitioner to move a fresh representation before the department raising a specific plea which has been raised in para 13 of the present writ petition. The petitioner would be at liberty to place all such other document/material on which he intends to rely. The representation of the petitioner would be disposed of by the department within a period of eight weeks from the date of communication of a copy of this order."

झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग के आदेश संख्या-2529 दिनांक 04.06.2012 के द्वारा विभाग में पदस्थापित राज्य अभियंत्रण सेवा के पदधारकों का औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया था तथा 30 दिन के समय सीमा के अन्दर आपत्ति की मांग की गई थी उक्त औपबंधिक वरीयता सूची में श्री आनन्द कुमार का क्रमांक 773 था। इनके द्वारा प्रस्तुत वरीयता संशोधन संबंधी आवेदन को बिहार सरकार द्वारा 2001 में प्रकाशित वरीयता को आधार मानते हुए रद्द कर दिया गया था।

विभागीय आदेश सं०-1978 दिनांक 02.04.13 के द्वारा राज्य अभियंत्रण सेवा के पदधारकों को अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी। जिसमें श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियंता का क्रमांक 772 है।

विभागीय आदेश सं०-1978 दिनांक 02.04.13 के द्वारा प्रकाशित वरीयता संबंधी आदेश के कण्डिकाओं में उल्लेखित है कि

कण्डिका 3 (क) - " लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सीधे नियुक्त सहायक अभियंता को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार रखा गया है।

कण्डिका (6) - " अंतिम वरीयता सूची के निर्धारण जल संसाधन, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित वरीयता को मूल आधार बनाया गया है। कतिपय मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये

निदेश के आलोक में बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग एवं झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ सुधार किया गया था जिसे भी वरीयता सूची में सन्निहित कर लिया गया है।

उक्त के आलोक में बिहार सरकार द्वारा 2001 में प्रकाशित वरीयता में श्री आनन्द कुमार के वरीयता पर मंतव्य की माँग विभागीय पत्रांक 7462 दिनांक 11.12.13 तथा स्मार 271 दिनांक 15.01.14 के द्वारा की गई थी जो बिहार सरकार उपलब्ध नहीं कराया गया है।

कण्डिका 3 (क) आलोक 89 में सीधे नियुक्त सहायक अभियंताओं की मेधा सूची की माँग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी परन्तु उक्त पत्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त अनुशांसा पत्र श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसमें वरीयता तथा मेधा सूची निम्नवत है –

जल संसाधन विभाग राँची द्वारा निर्गत वरीयता सूची क्र०	I.D	बिहार लोक सेवा आयोग की समेकित योग्यता क्र०	नाम	कोटि
1	2	3	4	5
762	3908	11	श्री जय प्रकाश चौधरी	सामान्य
763	3915	28	श्री राजकुमार यादव	सामान्य
764	3919	38	श्री ललन कुमार	सामान्य
765	3921	41	श्री अनिल कुमार मण्डल	सामान्य
766	3925	46	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सामान्य
767	3930	53	श्री हेमन्त कुमार लोहानी	सामान्य
768	3933	56	श्री देवेन्द्र कुमार	सामान्य
769	3940	65	श्री संजय कुमार	सामान्य
770	3944	69	श्री शिव कुमार	सामान्य
771	3946	71	श्री दिलीप कुमार सिंह	सामान्य
772	3954	15	श्री आनन्द कुमार	सामान्य

आदेश:—W.P.(S).—3143/13 आनन्द कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 30.10.13 को पारित न्याय निर्णय तथा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश



संख्या 1978 दिनांक 02.04.13 के आलोक में वरीयता में निम्नवत संशोधन किया जाता है—

वरीय ता क्र०	I.D	नाम	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	गृह जिला	सीधी नियुक्ति/ प्रोन्नति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
762	3908	श्री जय प्रकाश चौधरी		04.05.1963	31.05.23	खगड़िया	सीधी नियुक्ति	
763	3954	श्री आनन्द कुमार		06.01.1965	31.01.25	गया	सीधी नियुक्ति	
764	3915	श्री राजकुमार यादव		04.01.1963	31.01.23	पलामू	सीधी नियुक्ति	
765	3919	श्री ललन कुमार		06.05.1966	31.05.26	खगड़िया	सीधी नियुक्ति	
766	3921	श्री अनिल कुमार मण्डल		05.02.1963	28.02.23	देवघर	सीधी नियुक्ति	
767	3925	श्री राजेन्द्र प्रसाद		06.12.1963	31.12.23	गया	सीधी नियुक्ति	
768	3930	श्री हेमन्त कुमार लोहानी		01.06.1965	31.05.25	गया	सीधी नियुक्ति	
769	3933	श्री देवेन्द्र प्रसाद		02.01.62	31.01.22	मुंगेर	सीधी नियुक्ति	
770	3940	श्री संजय कुमार		15.01.1965	31.01.25	रोहतास	सीधी नियुक्ति	
771	3944	श्री शिव कुमार		14.01.1966	31.01.26	पटना	सीधी नियुक्ति	
772	3946	श्री दिलीप कुमार सिंह		02.06.1963	30.06.23	पटना	सीधी नियुक्ति	

विभागीय आदेश सं०-1978 दिनांक 02.04.13 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

उक्त आदेश की प्रति श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई, राँची को तामिला कराया जाय।

ह०/-

सचिव

जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- माननीया मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग/सचिव, नगर विकास विभाग/सचिव पर्यटन विभाग/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (प्र०)